बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

मंगलवार, तिथि ८ अक्तूबर, १९६३।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि ८ अक्तूबर १९६३ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short-Notice Questions and Answers.

सभा नियमावली के नियम ८९ के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा की मेज पर रखा जाना।

श्री नवल किशोर सिंह—अध्यक्ष महोदय, तृतीय विधान-सभा के चतुर्थ सत्र (फरवरी-अप्रील), १९६३ के शेष २२३६ तारांकित प्रश्नों में से ९२ तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूं।

SETTLEMENT OF LAND.

26. Shri **JOGENDRA MAHTO** : Will the Revenue Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that a plot of land under possession of the Patna Municipal Corporation bearing survey plot no. 1119, Ward no. 1, Survey Sheet no. 51, near eastern end of the Rajya Transport Bus Stand, on Ashoka Raj Path, is under dispute with the Revenue Department since 1955 ; if so, what are the claims of the Revenue Department over this plot of land and why the matter has not been settled up till now in spite of several reminders of the Patna Municipal Corporation ;

(2) whether it is a fact that the Patna Municipal Corporation (vide letter no. 2709, dated the 7th August, 1963) forwarded to the Revenue Department a petition of a political sufferer for settlement of this plot on monthly rental basis, pending decision of the claim over the land ; if so, will the Revenue Department be pleased to permit the Patna Municipal Corporation to settle this land with the petitioner pending decision of the matter without any further delay ?

तारांकित प्रश्नोत्तर।
Starred Questions and Answers.

दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई।

२४७। श्री सूरज नारायण सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गत फरवरी माह की बैठक में दरभंगा जिलान्तर्गत खजौली अंचल समिति ने श्री घूरन मिश्र, ग्राम हरपुर माल टोल के आवेदन-पत्र को स्वीकृत कर सर्वसम्मति से ५० प्रतिशत सरकारी सहायता से नलकूप बनवाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है और यह बात कार्यवाही बही पर बाकायदा दर्ज है ;

(२) क्या यह बात सही है कि गत मार्च माह की बैठक में एक सदस्य मुखिया, ग्राम-पंचायत, कन्हौली ने कार्यवाही-बही में उपर्युक्त नलकूप की स्वीकृति के आलेख को काटा हुआ देखकर इस अन्याय का विरोध किया और बैठक समाप्त होनेके पहले इस अन्यायपूर्ण रवैये के विरोध में बैठक से उठकर चले गये ;

(३) क्या यह बात सही है कि पहले भी कई बैठकों की कार्यवाही में इस प्रकार का संशोधन किया गया है और कार्यवाही बही में बैठक के बाद दूसरी लिखावट और दूसरी स्याही से कुछ प्रस्ताव जो बैठक में प्रस्तुत भी नहीं किये गये थे, जोड़ दिये गये और बैठक को जानकारी बिना स्वेच्छापूर्वक मनमाने ढंग से सदस्यों की राय जाने बिना कतिपय नलकूपों की स्कीमें स्वीकृत कर दी गयी हैं ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा जिले के खजौली अंचल-समिति की कार्यवाही-बही की जांच कराकर दोषी पाये गये पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये तैयार है; यदि नहीं, तो क्यों; और यदि हां, तो कब तक?

श्री बीर चन्द पटेल—(१) उत्तर नकारात्मक है ।

(२) उत्तर नकारात्मक है ।

(३) उत्तर नकारात्मक है । इस तरह का कोई भी कार्य किसी सदस्य द्वारा प्रकाश में नहीं लाया गया है और समिति के समक्ष पेश भी नहीं किया गया है ।

(४) प्रश्न नहीं उठता है ।

*श्री सूरज नारायण सिंह—क्या सरकार कार्यवाही बही को लाकर सदन के समक्ष रख सकती है ?

श्री बीर चन्द पटेल—मेरे ख्याल से इस तरह की परिपाटी नहीं है । यह नियम के अनुकूल नहीं होगा । यह बात ठीक है कि ४ नामों में श्री सूरत मिश्र का नाम काटा हुआ है । चूंकि एक गैर-सरकारी सदस्य अंचल समिति की बैठक के चेयरमैन थे और उन्होंने इसके सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है । सर्वे नं०, खाता और खसरा नं० जो लोग दरखास्त में नहीं देते हैं, वह स्वीकृत नहीं होती है ।

श्री सूरज नारायण सिंह—अंचल समिति की बैठक की प्रोसीडिंग्स को सरकार के अधिकारी नोट करते हैं तो क्या सरकार यह बतला सकती है कि उस नाम के काटने के बाद समिति की प्रोसीडिंग्स में उसके बारे में कोई जिक्र आया है या नहीं ?

श्री बीरचन्द पटेल—दूसरी बैठक में कार्यवाही की पुष्टि की गयी थी, उसके सभापति एक गैर-सरकारी सदस्य थे लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है। श्री सूरत मिश्र अगर अपने आवेदन-पत्र में खाता आदि सभी चीजों को कम्पलीट कर देते तो उसपर जरूर विचार होता।

श्री सूरज नारायण सिंह—जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि नाम काट दिया गया तो मैं यह कहता हूं कि यह बहुत ग्रेव चार्ज है।

अध्यक्ष—आप इसपर अपना प्रश्न पूछिये?

श्री सूरज नारायण सिंह—क्या सरकार यह बता सकती है कि नाम काट देने का चेयरमैन को अधिकार है या इसके लिये समिति की सहमति चाहिये?

श्री बीरचन्द पटेल—प्रोसिडिंग में ४ नाम लिखा गया था लेकिन एक नाम इसलिये काट दिया गया कि उनका आवेदन-पत्र कम्पलीट नहीं था तिथि २३ मार्च, १९६३ को कन्होली ग्राम के मुखिया बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया है। यह बात हो सकती है कि पहले सब आवेदन-पत्र को दर्ज कर लिया गया और जो आवेदन-पत्र कम्पलीट नहीं पाया गया, उसे काट दिया गया।

श्री सूरज नारायण सिंह—जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि कन्होली के मुखिया बैठक में उपस्थित थे और उनकी स्वीकृति से नाम काट दिया गया था तो मैं यह सरकार से पूछता हूं कि प्रोसीडिंग बुक एक छोटी-सी पुस्तिका है, क्या सरकार उसे इस सदन के समक्ष रख सकती है?

अध्यक्ष—यहां नहीं रखा जा सकता है।

श्री सूरज नारायण सिंह—तो मैं यह सरकार से अनुरोध करूँगा कि इसके लिये एनक्वायरी कराया जाय कि नाम क्यों काटा गया है?

(कोई जवाब नहीं मिला)

श्री शकूर अहमद—क्या सरकार यह बतायगी कि अंचल समिति की मीटिंग में ४ दरखास्तें रखी गयी थी जिसमें एक दरखास्त में खाता और खेसरा न० नहीं दर्ज रहने की सूचना आवेदक को भेज दी गयी थी?

श्री बीरचन्द पटेल—उत्तर स्वीकारात्मक है। उन्हें खबर की गयी थी। उनकी दरखास्त इनकम्पलीट थी और उसको दर्ज नहीं होना चाहिये था लेकिन उनकी सुविधा के लिये उनका नाम भी दर्ज कर लिया गया था जिसमें वे उसे बैठक के पहले ठीक कर दें लेकिन उन्होंने उसे ठीक नहीं किया, इसलिये उनका नाम काट दिया गया।

श्री शकूर अहमद—क्या यह बात सही है कि मिटिंग में यह कह दिया गया था कि यदि मुखियाजी एक सप्ताह के अन्दर भूलों का सुधार नहीं कर देंगे तो कार्यवाही से नाम काट दिया जायेगा ?

श्री बीरचन्द पटेल—उत्तर स्वीकारात्मक है ।

श्री शकूर अहमद—क्या यह बात सही है कि कन्हौली के मुखिया इस तरह की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर मिटिंग से उठ कर चले गये थे ?

श्री बीर चन्द पटेल—वे मिटिंग से उठकर चले नहीं गये थे बल्कि मौजूद थे और इस पर उनकी ओर से किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया गया था ।

श्री शकूर अहमद—क्या यह बात सही नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई अगले मिटिंग में दुरुस्त की जाती है और किसी तरह का करेक्शन कार्यवाही में नहीं किया जाता है ?

श्री बीर चन्द पटेल—मुखिया जी अगले मिटिंग में भी मौजूद थे और उस समय भी उनकी तरफ से इस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं की गयी थी और वे अंत तक मिटिंग में थे ।

*श्री रामानन्द तिवारी—क्या यह बात सही है कि ब्लॉक समिति के सामने जितने आवेदन-पत्र दिये जाते हैं, उनको प्रखंड पदाधिकारी, पहले किसी टेकनिकल आदमी से उनकी जांच करवा लेते हैं और तब आवेदन-पत्र समिति के सामने पेश किये जाते हैं ?

श्री बीर चन्द पटेल—जिस तरह से भी हो सकता है, प्रखंड समिति के सामने आवेदन-पत्र उपस्थित किये जाते हैं और जहां पर जैसा सिलसिला होता है, उस तरह से काम होता है । इसके लिये कोई खास नियम नहीं है ।

श्री रामानन्द तिवारी—जिस समय इनकम्पलीट आवेदन-पत्र दिया गया उस समय आवेदक को यह क्यों नहीं कहा गया कि कम्पलीट आवेदन-पत्र देना चाहिये ?

श्री बीर चन्द पटेल—इसके लिये मुखिया जी को एक सप्ताह का समय दिया गया था ।

अध्यक्ष—खाता न० और खेसरा न० दाखिल करने के लिए मुखियाजी को एक सप्ताह का समय दिया गया था ।

*श्री रामानन्द सिंह—क्या यह बात सही है कि अगर समिति की प्रोसिडिंग में कहीं पर कुछ गलती हो जाती है तो उसको अगले मिटिंग में समिति के एक दूसरे प्रस्ताव के जरिये दुरुस्त किया जाता है लेकिन प्रोसिडिंग को काटने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री बीरचन्द पटेल—उनको कहां गया था कि खाता नं० और खेसरा नं० एक सप्ताह के अन्दर दे दें और इसके लिए उनको समिति की तरफ से विशेष सुविधा दी गयी थी। उनको इसके लिए एक सप्ताह का समय देकर विशेष सुविधा दी गयी थी इसलिये उस मुखिया जी को तो कोई शिकायत की गंजाइश नहीं होनी चाहिये।

श्री रामानन्द सिंह—लेकिन प्रोसिडिंग को काटने का अधिकार तो किसी भी अफसर को नहीं है और अगर कहीं पर प्रोसिडिंग में कुछ गलती मालूम होती है, तो उसे अगले मिटिंग में प्रस्ताव पास करके दुरुस्त कर दिया जाता है।

श्री बीरचन्द पटेल—जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, वह तो सही रास्ता है लेकिन फिर भी समिति अपनी कार्यवाही को उसी समय दुरुस्त करने की कोशिश करे तो यह गैर-कानूनी नहीं होता है।

श्री रामानन्द सिंह—सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया है, वह गलत है और जानबूझकर मेलिशस इंटेंशन से ऐसा किया गया है, अतः इसकी जांच होनी चाहिये।

(कोई जवाब नहीं मिला।)

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या यह बात सही है कि कार्यवाही पुस्तिका में जिसका नाम पहले से दर्ज है, उस नाम को काट करके एक सप्ताह के बाद दूसरे आदमी का नाम लिखकर किसी दूसरे आदमी को स्कीम दे दिया गया है?

श्री बीरचन्द पटेल—इसकी सूचना चाहिये।

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या यह बात सही है कि अंचल समिति की बैठक में ऐसा करने के लिए कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं पास हुआ है, तब बी० डी० ओ० या किसी दूसरे अफसर को कार्यवाही पुस्तिका में नाम काटकर किसी दूसरे आदमी का नाम दर्ज करके किसी दूसरे आदमी को स्कीम देने का पावर है?

श्री बीरचन्द पटेल—बी० डी० ओ० या किसी दूसरे अफसर ने अपने मन से ऐसा नहीं किया है बल्कि समिति की राय से ऐसा किया गया है। उस मुखियाजी को एक विशेष सुविधा दी गयी थी कि वे यदि चाहें, तो खाता और खेसरा नं० दें लेकिन उन्होंने इस सुविधा से लाभ नहीं उठाया और तब अगले मिटिंग में यह फैसला हुआ कि दूसरे आदमी को स्कीम दिया जाय।

श्री कर्पूरी ठाकुर—जब अगले मिटिंग में नाम काटने का फैसला हुआ, तो उसके पहले ही उनका नाम क्यों काट दिया गया?

श्री बीरचन्द पटेल—क्यों नाम काटा गया है, इस परिस्थिति को साफ कर दिया गया है लेकिन बेहतर तो यह होता कि उनका नाम अगले मिटिंग की कार्यवाही में प्रस्ताव पास करके काटना चाहिये था और यह तरीका अच्छा होता लेकिन उनके नाम को काटने के लिए समिति का फैसला हुआ है और तभी उनका नाम काटा गया।

श्री दारोगा प्रसाद राय—मैं जानना चाहता हूँ कि क्या श्री घूरन मिश्र को सूचित किया गया कि वे अपना दरखास्त कम्पलीट कर दें ?

श्री बीरचन्द पटेल—दरखास्त मुखिया के जरिए दी गयी थी, इसलिए मुखिया को कहा गया था कि आवेदक का दरखास्त कम्पलीट करवा दिया जाय। सूचना मुखिया के माध्यम से दी गयी थी।

श्री दारोगा प्रसाद राय—दरखास्त कभी-कभी भी० एल० डब्लू० को दूसरे कर्मचारी को या डाइरेक्ट बी० डी० ओ० को दी जाती है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह समझती है कि पीटीशनर को सूचना न मिलने के कारण उनका केस रिजेक्ट हो गया ?

श्री बीरचन्द पटेल—जहां तक इस केस का सम्बन्ध है, मुखिया के माध्यम से दरखास्त दी गयी थी और उनके माध्यम से सूचना भी दी गयी।

श्री दारोगा प्रसाद राय—अध्यक्ष महोदय, यह भी तो हो सकता है कि मुखिया ने आवेदक को इसके बारे में सूचना नहीं दी ?

अध्यक्ष—नियम यह है कि आवेदक को उसके सम्बन्ध में सूचना मिलनी चाहिये।

कैदियों का उच्च श्रेणी में परिवर्त्तन।

५२२। श्री वशिष्ठ नारायण सिंह—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि दरभंगा मंडल कारागार के कैदी श्री महावीर राय, पे० श्री चौसी राय तथा श्री रामबालक राय, पे० श्री महावीर राय को उच्च श्रेणी के कैदी में परिवर्त्तन करने के लिये मंडल कारा अधीक्षक, दरभंगा ने अपने कार्यालय के पत्रांक ४४० तथा ४४१, दिनांक १७ अप्रील, १९६३ द्वारा जिलाधिकारी, दरभंगा को लिखा था ;

(२) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कैदियों को अभी तक उच्च श्रेणी में नहीं दिया गया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कैदी उच्च श्रेणी प्राप्त करने की सभी शर्तों के अनुसार उच्च श्रेणी प्राप्त करने के उपयुक्त हैं ;